

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 5322/2022

पदमाती मालव

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.10.2022

आदेश की दिनांक : 17.11.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

समक्ष :- मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस काला, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-II (अंग्रेजी) के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जी.जी.एस.एस., लाडपुरा, कोटा में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आलौच्य आदेश दिनांक 11.10.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अंता, जिला बारा में बिना किसी प्रशासनिक कारणों के प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित (Accommodate) करने के उद्देश्य से दूरस्थ स्थान पर 55 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अपने स्थानान्तरण के लिए किसी प्रकार की कोई प्रार्थना नहीं की थी, स्थानान्तरण आदेश विधि-विरुद्ध व मनमाना है। अपीलार्थी स्लिप डिस्क एल-4, ए-5 की बीमारी से ग्रसित है, जिससे अपीलार्थी को चलने व ज्यादा समय तक खड़ी भी नहीं रह सकती है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का पति भी राजकीय सेवा में बिजली विभाग में आईएन के पद पर अज्यूलयाखेड, जिला चित्तोड़गढ़ में कार्यरत है। राज्य सरकार की नीति रही है कि यथासम्भव पति-पत्नी को निकट स्थान या जिले में पदस्थापित रखे जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी के दो बच्चे व वयोवृद्ध

सास-ससूर है, जो अपीलार्थी के साथ ही रहते हैं। अपीलार्थी के अलावा उनकी देखभाल करने वाला परिवार में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है।

3. अतः अपीलार्थी अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 11.10.2022 (अनुलग्नक-1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-II (अंग्रेजी) के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जी.जी.एस.एम., जिला कोटा में रखे जाने के आदेश फरमाया जावे।
4. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनु गिलन कर मनन किया।
5. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये स्वयं अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 3 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।
7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य